न्यायालय: - पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (आप.प्रक.कमांक :- 56 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 31 / 01 / 2014)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ। जिला-भिण्ड.. म.प्र.

.....अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

राह्ल बाथम पुत्र श्रीचन्द्र बाथम, उम्र 23 वर्ष। 01. निवासी: – ग्राम मेवली, थाना: – डी.पार, जिला–दितया, (म.प्र.)। अभियक्त।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 18 / 01 / 2018 को घोषित)

अभियुक्त राहुल पर धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 01. 146 / 196 एवं 03 / 181 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 11/09/2013 की शाम लगभग 05:30 बजे गोहद रोड हरनाम पूरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक आर.जे. 01 / 15एम / 6250, जिसका क्रमांक डी.यू.एम.बी.एल.एच.८९८५५ को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत मुकेश को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं मृतक गिरीज को टक्कर मारकर, उसकी ऐसी मृत्यू कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया।

प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है। 02.

अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :--03. 11/09/2013 की शाम लगभग 05:30 बजे गोहद रोड़ हरनाम पूरा के सामने लोकमार्ग पर, लाल रंग की मोटर साईकिल सी.टी.100 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर उसकी मोटर साईकिल साईकिल में टक्कर मारकर उसे एवं गिर्राज को उपहति कारित करने की देहाती नालसी उसी दिनांक : 11/09/2013 को घटना के लगभग 01 घण्टे पश्चात् शाम 06:30 बजे फरियादी मुकेश पाल द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, लाल रंग की मोटर साईकिल सी.टी.100 के वाहन चालक के विरूद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर लाल रंग की मोटर साईकिल सी.टी.100

के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 197/13 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द. सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत गिर्राज की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 304 ए एवं आरोपी द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाएं जाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 एवं 146/196 का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। साक्षीगण अशोक एवं पुलन्दर के धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों में दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल का क्मांक आर.जे.01/15एम/6250 उल्लेखित होने के कारण रामदास के आधिपत्य से उक्त मोटर साईकिल को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अरोपी द्वारा पेश करने पर जब्तशुदा मोटर साईकिल के रिजस्ट्रेशन एवं बीमा की प्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी मुकेश पाल, साक्षीगण अशोक, पुलन्दर, कमलेश एवं रामकरन के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त राहुल के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 146/196 एवं 03/181 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया है।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
- 01. क्या आरोपी राहुल ने दिनांक :— 11/09/2013 की शाम लगभग 05:30 बजे गोहद रोड़ हरनाम पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक आर.जे.01/15एम/6250, जिसका क्रमांक डी.यू.एम. बी.एल.एच.89895 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत मुकेश को टक्कर मारकर उपहित कारित की एवं मृतक गिर्राज को टक्कर मारकर, उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक :– 01 लगायत 03

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- फरियादी मुकेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में 08. कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 24 / 08 / 2015 से लगभग दो साल पहले की पाँच-साढे पाँच बजे की है। उस समय वह मोटर साईकिल के पीछे बैठा था और गिर्राज मोटर साईकिल चला रहा था। वह मोटर साईकिल से अपने गांव से मौ गये थे और मौ से अपने गांव विलाहटी आ रहे थे, तभी हरनामपुरा के सामने गोहद की तरफ से आ रही एक मोटर साईकिल ने टक्कर मार दी, जिसमें उसके सिर में, मुंह में, गर्दन एवं कंधें में चोट आई। गिर्राज के सिर में एवं शरीर में चोट आई। साक्षी आगे कहता है कि पुलन्दर उन्हें ईलाज हेतु ग्वालियर ले गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की देहाती नालसी प्र.पी.02 थाना मौ में लेखबद्ध कराई थी, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है और पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी। अभियोजन द्व ारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी मुकेश अ.सा.02 ने उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.02 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उक्त तथ्य पुलिस को ना बताना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण ना बता पाना व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि फरियादी मुकेश अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.02 में दुर्घटनाकारित करने वाली किसी मोटर साईकिल का कोई नम्बर अथवा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम उल्लेखित नहीं है।
- 09. साक्षी पुलन्दर अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक :— 11/09/2013 के शाम के 04—05 बजे की है। वह अपनी हीरो—होण्ड़ा डीलक्स गाड़ी से ससुराल मौ से वापस आ रहा था तथा उसका भाई गिर्राज एवं मुकेश एक पल्सर गाड़ी से वापस आ रहे थे, तभी झॉकरी पार करते ही तथा चितौरा के बीच में सामने से एक गाड़ी सी.टी.100 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसके भाई गिर्राज की मोटर साईकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे मुकेश एवं गिर्राज के चोटें आई थी। उसके बाद वह अपने भाई को अनीता नर्सिंग होम लेकर गये थे, उसके बाद 03 साढ़े 03 बजे

उसका भाई गिर्राज खत्म हो गया था। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन बनाया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने शव पंचायतनामा बनाया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी पुलन्दर अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पुलिस कथन में यह लेख कराया था कि मोटर साईकिल सी.टी.100 क्रमांक आर.जे.01/15एम/6250 के चालक राहुल द्वारा उसकी मोटर साईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसके भाई गिर्राज की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी पुलन्दर अ.सा.05 ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी राहुल को देखकर यह व्यक्त किया कि उसके द्वारा ही गिर्राज की मोटर साईकिल में टक्कर मारी गई थी।

- 10. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में पुलन्दर अ.सा.05 ने यह व्यक्त किया है कि मृतक गिरांज मौ से साढ़े तीन—पौने चार बजे निकला था और वह अर्थात् पुलन्दर उसके साथ पीछे—पीछे जा रहा था और वह तथा गिरांज साथ—साथ मोटर साईकिल से गये थे। उल्लेखनीय है कि घटना के फरियादी मुकेश अ.सा.02 ने उसके प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह और गिरांज मोटर साईकिल से मौ से आ रहे थे, उस समय उनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति साथ नहीं था। मुकेश अ.सा.02 ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि साक्षी पुलन्दर अ.सा.05 ६ ।टना के समय ग्राम बिलहटी में ही था, घटनास्थल पर नहीं था। इस प्रकार आरोपित घटना के समय घटनास्थल पर साक्षी पुलन्दर अ.सा.05 की उपस्थित के संबंध में मुकेश अ.सा.02 एवं पुलन्दर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि पुलन्दर के आरोपित दुर्घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित होने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।
- 11. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 05 में पुलन्दर अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उसके पुलिस कथन में दुर्घटनाकारित करने वाले को कौन चला रहा था और उस वाहन का नम्बर क्या था, नहीं लिखाया था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि जिसने रिपोर्ट की होगी, उसने लिखाया होगा। उल्लेखनीय है कि पुलन्दर अ.सा.05 के पुलिस कथन में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में वाहन क्रमांक आर.जे.01/15एम/6250 एवं चालक के रूप में राहुल का नाम उल्लेखित है। प्रकरण के विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया है कि उसने दिनांक: 15/09/2013 को साक्षी पुलन्दर के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक एवं चालक का नाम साक्षी पुलन्दर अ.सा.05 द्वारा विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 को उसके पुलिस कथन में लेखबद्ध कराया गया था,

अथवा नहीं, इस वावत् पुलन्दर अ.सा.05 एवं विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं पुलन्दर के पुलिस कथन के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है और उक्त तथ्य पुलन्दर द्वारा विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर एवं आरोपी चालक का नाम बताये जाने के तथ्य को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

- अभियोजन साक्षी विनोद भार्गव अ.सा.०८ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 11/09/2013 को पुलिस थाना मौ की चौकी झॉकरी में प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को उसे हरनामप्रा के सामने मौ-गोहद रोड़ पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब तक घायल ग्वालियर के लिए चला गया था। तब वह घायल मुकेश पाल, निवासी :- विलाहटी ने बिरला हॉस्पीटल ग्वालियर में घायल अवस्था में देहाती नालसी रिपोर्ट प्र.पी.02 लिखाई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरक्षक शिवनारायण को असल कायमी हेतु देहाती नालसी देकर थाना मौ रवाना किया था, जहाँ पर अपराध क्रमांक 197 / 2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 की एफआईआर लेखबद्ध की गई थी। उसके बाद उसे एफआईआर प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक : 15/09/2013 को उसने साक्षी पुलन्दर की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी पुलन्दर एवं अशोक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे एवं दिनांक : 12/09/2013 को उसने आहत मुकेश के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे एवं दिनांक : 01/12/2013 को साक्षी कमलेश एवं रामकरन के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि 12 / 09 / 2013 को घटनास्थल से रामदास से एक सी.टी.100 लाल रंग की मोटर साईकिल नम्बर आर.जे.01 / 15एम / 6250 को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक : 02/10/13 को राह्ल बाथम द्वारा जब्तश्रदा मोटर साईकिल का बीमा, रजिस्ट्रेशन पेश करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक : 02 / 10 / 2013 को आरोपी राहुल बाथम को गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.13 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट एवं मैकेनिकल जांच आदि अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् तथा अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग पत्र चालानी कार्यवाही हेत् टी.आई. महोदय के समक्ष पेश किया था।
- 13. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 ने यह दर्शित किया है कि वह घटनास्थल पर घटना दिनांक अर्थात् 11/09/13 को पौने छः बजे पहुँच गया था और मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक : 12/09/2013 को घटनास्थल से रामदास से एक सी.टी.100 मोटर साईकिल क्रमांक आर.जे.01/15एम/6250 जब्त कर

जब्ती पचंनामा प्र.पी.09 बनाया था। उल्लेखनीय है कि यदि आरोपित दृध िटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल दिनांक : 12/09/2013 को घटनास्थल से जब्त की गई है, तो वह निश्चिय ही घटना दिनांक : 11/09/2013 को भी जिस समय विवेचक शाम पौने छः बजे घटनास्थल पर पहुँचा, घटनास्थल पर ही रखी होगी। लेकिन इस तथ्य का कोई उल्लेख विवेचक द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया गया और यदि दिनांक : 11 / 09 / 2013 को उक्त मोटर साईकिल घटनास्थल पर ही मौजूद थी, तो विवेचक द्वारा उसे उसी समय जब्त क्यों नहीं किया गया, इसका भी कोई स्पष्टीकरण विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.०८ द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं दिया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि जब उक्त मोटर साईकिल की जब्ती घटनास्थल से की गई है, तो उसे किसी रामदास से जब्त करना क्यों दर्शित किया गया है. यह भी विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.०८ द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। विनोद भार्गव अ.सा.०८ ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि उसके द्वारा रामदास को घटनास्थल पर उक्त मोटर साईकिल लेकर आने को कहा हो, जिससे मोटर साईकिल जब्त की जा सकी। इस प्रकार उक्त मोटर साईकिल दिनांक : 12/09/2013 को घटनास्थल से जब्त किये जाने का तथ्य एवं उक्त जब्तश्रदा मोटर साईकिल से आरोपित दुर्घटना आरोपी राह्ल द्वारा कारित किये जाने का तथ्य उपरोक्त विवेचना के आलोक में संदेहास्पद प्रतीत होता है।

- 14. साक्षीगण अशोक अ.सा.01, कमलेश अ.सा.04 एवं रामकरन अ.सा.06 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी राहुल द्वारा दिनांक :— 11/09/2013 की शाम लगभग 05:30 बजे गोहद रोड़ हरनाम पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल कमांक आर.जे.01/15एम/6250, जिसका कमांक डी.यू.एम.बी.एल.एच.89895 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत मुकेश को टक्कर मारकर उपहित कारित करने एवं मृतक गिर्राज को टक्कर मारकर, उसकी मृत्यु कारित करने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 15. डॉ.निखिल अग्रवाल अ.सा.03 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक गिर्राज के शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।
- 16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राहुल ने दिनांक :— 11/09/2013 की शाम लगभग 05:30 बजे गोहद रोड़

हरनाम पूरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल कमांक आर.जे.01 / 15एम / 6250, जिसका क्रमांक डी.यू.एम.बी.एल.एच.89895 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत मुकेश को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं मृतक गिर्राज को टक्कर मारकर, उसकी ऐसी मृत्यू कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया।

अंतिम निष्कर्ष

- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राहल के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 304 ए भा. द.सं. एवं धारा 146/196 एवं 03/181 मोटर यान अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राह्ल को धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 146/196 एवं 03/181 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- प्रकरण में जब्तशुदा मोटर साईकिल कमांक आर.जे.01/15एम/6250 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी मोहन सिंह के पास स्पूर्दगी पर है, स्पूर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)